

Rajasthan Government
Food and Civil Supply Department

क्र. सं.	योजना का नाम व वर्ष	योजना का प्रसार क्षेत्र / जिला	आशयित लाभार्थी / पात्रता	योजना के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम व विवरण	लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज	योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला लाभ	योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, 2013	सम्पूर्ण देश (केन्द्र सरकार की योजना)	1 अन्त्योदय अन्न योजना 2 अन्य प्राथमिकता वाले परिवार	श्री ब्रह्मलाल जाट उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (नोडल अधिकारी) मोबाईल नं:- 9414314312	समावेशन श्रेणी में जो भी श्रेणी सम्मिलित है उनके साक्ष्य दस्तावेज आवश्यक है। संलग्न:- समावेशन श्रेणी सूची।	1 अन्त्योदय अन्न योजना परिवार को प्रति माह,, प्रति परिवार 35 किग्रा गेहूं। 2 अन्य प्राथमिकता वाले परिवार प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किग्रा गेहूं।	55,421.54 लाख
2.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (मई, 2016)	सम्पूर्ण देश (केन्द्र सरकार की योजना)	निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित वयस्क महिला। 1 अनुसूचित जाति परिवार 2 अनुसूचित जनजाति परिवार 3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 4 अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) 5 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) 6 चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ 7 वनवासी	श्री ब्रह्मलाल जाट उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (नोडल अधिकारी) मोबाईल नं:- 9414314312	1 केवाईसी फार्म 2 पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) 3 पारिवारिक संरचना का पता लगाने के लिए जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है, वहां से जारी राशन कार्ड परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार का दस्तावेज अनुलग्नक 1 के अनुसार स्व-घोषणा।	योजना अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेण्डर की रिफिलिंग करवाये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा 300 रु. प्रति सिलेण्डर की सब्सिडी प्रदान की जाती है। जो एक वर्ष में अधिकतम 12 सिलेण्डरों पर उपलब्ध करवायी जाती है।	इस योजना की सब्सिडी के लिए पैसा केन्द्र सरकार से दिया जाता है।

			8 द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग 9 एसईसीसी परिवार (एएचएल टिन) 10 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार गरीब परिवार		4 क्रमांक नम्बर 3 में वर्णित दस्तावेज के अनुसार लाभार्थी और परिवार के सभी सदस्यों का आधार। 5 बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड।		
3.	मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना (सितम्बर, 2024)	राजस्थान राज्य में	पीएमयूवाई एवं राज्य के चिन्हित एनएफएसए पात्र परिवार।	श्री ब्रह्मलाल जाट उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (नोडल अधिकारी) मोबाईल नं:- 9414314312	1 एनएफएसए 'हां' राशन कार्ड 2 सब्सिडी का लाभ एलपीजी आईडी की एनएफएसए राशन कार्ड एवं जनाधार कार्ड से सीडिंग के पश्चात सिलेण्डर रिफिलिंग करवाने पर देय है।	पात्र परिवारों को प्रति माह अधिकतम 01 सिलेण्डर (वर्ष में 12 से अधिक नहीं) 450/- रुपये में उलपब्ध कराया जा रहा है।	72,000 लाख